रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-01072024-255049
CG-MH-E-01072024-255049

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 451] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 28, 2024/आषाढ 7, 1946
No. 451] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 28, 2024/ASHADHA 7, 1946

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 27 जून, 2024

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
(प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अऋजु व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2024

सं. सेबी/एल.ए.डी-एन.आर.ओ/जीएन/2024/187.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अऋजु व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) विनियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अऋजु व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2024 कहा जा सकेगा ।

2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अऋजु व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) विनियम, 2003 में,-

I. विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में,-

i. खंड (ख) में, उप-खंड (i) में, शब्दों, चिह्नों तथा अंक "किन्हीं व्यक्तियों द्वारा [जिनमें मालिक (प्रिंसिपल), अभिकर्ता (एजेंट) या अधिनियम की धारा 12 में उल्लिखित मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) शामिल है]" के स्थान पर शब्द, चिह्न तथा अंक "फिर चाहे कोई व्यक्ति [जिसमें मालिक (प्रिंसिपल), अभिकर्ता (एजेंट) या अधिनियम की धारा 12 में उल्लिखित मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) शामिल है] ऐसा या तो स्वयं करे या 'गलत इरादे से इस्तेमाल किए जाने वाले खातों (म्यूल अकाउंट)' के जरिए करवाए" आ जाएँगे;

ii. खंड (घ) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"(घक) "गलत इरादे से इस्तेमाल किए जाने वाले खाते" (म्यूल अकाउंट) में शामिल है - किसी व्यक्ति के नाम से स्टॉक दलाल के यहाँ खुलवाया गया वह ट्रेडिंग खाता अथवा वह डीमैट खाता या बैंक खाता (जिसे उस ट्रेडिंग खाते से लिंक किया हुआ हो), जिसमें लेनदेन (ट्रांजैक्शन) किसी दूसरे व्यक्ति के कहने पर ही किया जा रहा हो, फिर भले ही वह दूसरा व्यक्ति उस खाते में किए जा रहे लेनदेन हेतु कोई रकम अदा कर रहा हो या न कर रहा हो;"

II. विनियम 4 में, उप-विनियम (1) में, मौजूदा स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण आ जाएगा, अर्थात्,-

"स्पष्टीकरण. – शंकाएँ दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि –

(i) किसी कंपनी [जिसकी प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों] की आस्तियों (असेट्स) या उसकी आमदनी को कहीं और लगाने (का अन्यत्र उपयोग करने), का गलत इस्तेमाल (दुरुपयोग) करने या को बेईमानी से निकालने के लिए किए गए ऐसे किसी भी कार्य के बारे में अथवा ऐसे किसी कार्य को छिपाने के बारे में अथवा ऐसी किसी कंपनी के बही- खातों (लेखा बहियों) या वित्तीय विवरणों में हेराफेरी करने के लिए रची गई ऐसी किसी साजिश [युक्ति, योजना (स्कीम)] आदि [जिससे कि उस कंपनी की प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) की कीमत में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हेराफेरी हो] के बारे में, या

(ii) धोखाधड़ी करने और अनुचित तरीके से ट्रेडिंग करने (अऋजु व्यापारिक व्यवहारों) के मकसद से 'गलत इरादे से इस्तेमाल किए जाने वाले खातों' (म्यूल अकाउंट) के जरिए किए जाने वाले लेनदेन (ट्रांजैक्शन) के बारे में,

हमेशा यही माना जाएगा कि ऐसा करना उप-विनियम (1) के दायरे में आता है।"

बबीता रायुडू , कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./220/2024-25]

<u>पाद टिप्पण:</u>

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अऋजु व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) विनियम, 2003, सं. का.आ. 816(अ), 17 जुलाई, 2003 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अऋजु व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) विनियम, 2003 तत्पश्चात्-

i. 23 अप्रैल, 2007 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (बोर्ड द्वारा जारी समनों और सूचनाओं की तामील की रीति) (संशोधन) विनियम, 2007, फा. सं. भाप्रविबो/विकावि/नीप्र/2232/2007, द्वारा

ii. 11 दिसम्बर, 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अऋजु व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2012, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/25/5455, द्वारा

iii. 6 सितम्बर, 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अऋजु व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2013, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2013-14/22/22670, द्वारा

iv. 31 दिसम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अऋजु व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/56, द्वारा

v. 13 मार्च, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अऋजु व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2020/08, द्वारा

vi. 19 अक्तूबर, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अऋजु व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2020/36, द्वारा

vii. 25 जनवरी, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अऋजु व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/71, द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 27th June, 2024

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (PROHIBITION OF FRAUDULENT AND UNFAIR TRADE PRACTICES RELATING TO SECURITIES MARKET) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2024

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/187.—In exercise of the powers conferred under Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) Regulations, 2003, namely: –

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) (Amendment) Regulations, 2024**.**

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) Regulations, 2003, -

I. in regulation 2, in sub-regulation (1), -

i. in clause (b), in sub-clause (i), after the words "of the Act" and before the symbol ";", the symbol and words ", either by themselves or through mule accounts" shall be inserted;

ii. after clause (d), the following clause shall be inserted, namely–

"(da) "mule account" includes a trading account maintained with a stock broker or a dematerialised account or bank account linked with such trading account in the name(s) of a person, where the account is effectively controlled by another person, whether or not the consideration for transactions in the account are paid by such other person;".

II. in regulation 4, in sub-regulation 1, the existing Explanation shall be substituted by the following Explanation namely, -

"Explanation.– For the removal of doubts, it is clarified that-

(i) any act of diversion, misutilisation or siphoning off of assets or earnings of a company whose securities are listed or any concealment of such act or any device, scheme or artifice to manipulate the books of accounts or financial statement of such a company that would directly or indirectly manipulate the price of securities of that company, or

(ii) transactions through mule accounts for indulging in manipulative, fraudulent and unfair trade practice shall be and shall always be deemed to have been included in sub-regulation (1)."

BABITHA RAYUDU, EXECUTIVE DIRECTOR

[ADVT.-III/4/Exty./220/2024-25]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) Regulations, 2003 was published in the Gazette of India on July 17, 2003 vide No. S. O. 816(E).
2. The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) Regulations, 2003 was amended on -

i. April 23, 2007 by the Securities and Exchange Board of India (Manner of Service of Summons and Notices Issued by the Board) (Amendment) Regulations, 2007 vide No. SEBI/LAD/DOP/2232/2007;

ii. December 11, 2012 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) (Amendment) Regulations, 2012 vide No. LAD-NRO/GN/2012-13/25/5455;

iii. September 06, 2013 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) (Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/22/22670;

iv. December 31, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) (Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018 /56.

v. March 13, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/08.

vi. October 19, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) (Second Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/36.

vii. January 25, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) (Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/71.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2024.07.01 15:19:04 +05'30'